डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-12/वा.कर/पांच (6).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 4-ए की उपधारा (1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक-पांच (78), दिनांक 29-7-97 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

1. प्रविष्टि क्रमांक 1 के लिए निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी.

1.	छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी स्थानीय क्षेत्र.	1. डीजल और फर्नेश ऑयल	1-4-2001	10%
		2. जिप्सम	1-4-2001	5%
		3. विस्फोटक	1-4-2001	10%

2. प्रविष्टि 2 में स्तंभ 5 में शब्द "5%" के स्थान पर शब्द "6%" प्रतिस्थापित किया जाये तथा 1-4-2001 से प्रतिस्थापित माना जायेगा.

3. प्रविष्टि 5 निरस्त की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2001

क्रमांक एफ/10-12/2001/वा. कर/पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10-12/2001/वा. कर/पांच (6) दिनांक 31-3-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, अवर सचिव.

Raipur, the 31st March 2001

NOTIFICATION

No. F/10-12/2001/C.T./V (6).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kashetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in this department notification No. A-5-14-97-ST-V (78), dated 29-7-97, namely :—

AMENDMENT

In the schedule to the said notification :—

1. For entry 1 following entry shall be substituted :—

1.	All local areas falling within the limits of Chhattisgarh State.	1. Diesel and furnance oil	1-4-2001	10%
		2. Gypsem	1-4-2001	5%
		3. Explosives	1-4-2001	10%

2. In entry 2 in column 5 for the word "5%" word "6%" shall be substituted and shall be deemed to have substituted from 1-4-2001.

3. Entry 5 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.